अनुसूची-७क.

(नियम ५ को उपनियम (७क) सँग सम्बन्धित)

प्रदेशसभा सदस्य तथा स्थानीय तहका सदस्यको सनाखतको ढाँचा

यस आयोगमा दर्ता कायम रहेको ........................................................................................ नामक राजनीतिक दलबाट छुट्टिई बनेको .................................................... नामक राजनीतिक दलमा प्रवेश गर्न मञ्जुर भएकोले मैले राजीखुसीले सहिछाप गरेको हुँ । फरक ठहरे कानून बमोजिम सहुँला बुझाउँला ।

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| क्र.सं. | सनाखत गरेको मिति | नाम | लिङ्ग | जन्म मिति | ठेगाना | नागरिकता नं.,जारी मिति र जिल्ला | प्रदेशसभासदस्यको हकमा प्रदेशको नाम | स्थानीय तहका सदस्यको हकमा  | दस्तखत |
| जिल्ला | स्थानीय तह | पद | वडा नं. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

द्रष्टव्य:

१. प्रदेश सभा सदस्य र स्थानीय तहका सदस्यको सनाखत गराउँदा छुट्टाछुट्टै फारामको प्रयोग गर्नु पर्नेछ।

२. सनाखत गर्न आउने पदाधिकारी वा सदस्यले आफू निर्वाचित भएको सक्कल प्रमाणपत्र र नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र साथमा ल्याउनु पर्नेछ र सोको प्रतिलिपि समेत पेश गर्नु पर्नेछ।

 प्रमाणित गर्ने अधिकृतको,-

 दस्तखत M

 नाम M

 दर्जा M

 मिति M